संख्या- 654 /26-ब0प्र0-2013-32(खा)/09

प्रेषक,

दीनानाथ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय सहायता योजना (एस0सी0एस0पी0) के संचालन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-312/ खाग्राबो/गु0नि0प्र0/2012-13 दिनांक 14 अक्टूबर, 2013 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या- 404/26-ब0प्र0-2013-32(खा)/2009, दिनांक 7 जून, 2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 8.00 लाख (रू0 आठ लाख मात्र) में से अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 4.00 लाख (रू0 चार लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि शिविर का आयोजन प्रदेश के ऐसे जनपदों/तहसीलों/ब्लाकों/कस्बों में किया जायेगा जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/लाभार्थियों की जनसंख्या/आबादी 25 प्रतिशत से कम न हो।

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के मानकों व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि के व्यय का नियमानुसार प्रमाण पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. स्वीक़त धनराशि का आहरण एवं उससे व्यय/उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में योजना की गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. योजना के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जायेगा।

7. जिस मद के लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग / व्यय उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग होने की दशा में विभागाध्यक्ष उत्तरदायी

http://shasanadesh.up.nic.in

होगें।

8. स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही होगी। किसी प्रकार के विचलन की स्थिति में प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होगें।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-उत्पाद विकास मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(दीनानाथ)
अनु सचिव

संख्या- 654 (1)/26-ब0प्र0-2013-तद्-दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यपाल अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनु0-4
7. औद्योकिग विकास अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

htpp://shasanadesh.up.nic.in